संख्या : 06 /XLI-1/2014-76/(प्रशि0)/2006

प्रेषक,

आर00के0 सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 07 मार्च फरवरी, 2015

विषयः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिगालीचौड (चम्पावत) के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10457/डीटीईयू/वृ0नि0प्र0/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिगालीचौड (चम्पावत) के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु आंगणन रू0 497.24लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 परीक्षणोपरान्त रू0 488.99लाख औचित्यपूर्ण पाये है। प्रथम चरण के कार्य हेतु पूर्व निर्गत धनराशि रू0 5.85लाख को सम्मिलित करते हुये कुल धनराशि रू0 488.99लाख में से शेष धनराशि रू0 483.14लाख में से प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 193.14लाख आवासीय/अनावासीय भवन के निर्माण के लिए अवमुक्त करते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये–नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

(7) सभी प्राविधानों पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(8) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।

(10) आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्याः 83/XLI-1/11–76(प्रशि0)/2006, दिनांक 13 जून, 2011, के अनुसार यथावत बना रहें।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन– 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 116(P)/XXVII(5)/2014, दिनांक 26.02.15 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या एंव दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त कुमांयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, चंपावत।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी/लोहाघाट/चंपावत्।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिगालीचौड (चम्पावत) ।
8. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड पिथौरागढ़ इकाई।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 06/XLI-1/2014-76/(Trg.)/2006 अलोटमेंट आई डी - S1503160094

अनुदान संख्या - 016 आवंटन पत्र दिनांक -09-Mar-2015

HOD Name - Director Training (4635)

1: लेखा शीर्षक 4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय 80 - सामान्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन 07 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकर

00 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	51384000	19314000	70698000
	51384000	19314000	70698000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 19314000